अध्याय 23

आजादी के बाद का भारत

15 अगस्त 1947 ई. को भारत अंग्रेजी शासन से मुक्त हुआ। उस समय आजाद भारत के सामने कई चुनौतियाँ थी। भारतीय जनता ने काफी लम्बे संघर्ष के बाद आजादी पाई थी, इसलिए लोगों को भारतीय शासन से काफी उम्मीदें भी थी। देश के विभाजन के कारण लगभग 70–80 लाख शरणार्थी भारत आए थे। इनके रहने, खाने–पीने व रोजी–रोटी का इंतजाम भी नई सरकार को करना था।

आजादी से पूर्व भारत में 562 देशी रियासतें थी। इनके शासकों को भारत में विलय के लिए तैयार करके भारत का एकीकरण पूरा करना एक बड़ी चुनौती थी। भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं का निर्धारण कर उनसे अच्छे संबंध भी बनाने थे।

अंग्रेजों ने भारत को आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर कर दिया था। अतः भारत को पुनः मजबूत देश बनाना था। भारत में भाषागत, जातिगत एवं क्षेत्रीय विविधताएँ रही हैं। इनमें उपस्थित राष्ट्रीय एकता के तत्वों को पहचानकर सभी के मन में अपने राष्ट्र के प्रति गौरव का भाव भरना था। इस तरह उस समय देश के सामने कई चुनौतियाँ थी, उनमें से कुछ का अध्ययन हम इस पाठ में करेंगे।

संविधान सभा का गठन एवं भारत के नवीन संविधान की रचना–

1947 से पूर्व भारत में अंग्रेजों का राज्य था तथा उस समय भारत में शासन चलाने के लिए आवश्यक नियम ब्रिटिश संसद बनाती थी। अंग्रेज (ब्रिटिश) सरकार कानूनों का निर्माण करते समय मात्र ब्रिटिश हितों को ध्यान में रखती थी। उसमें भारतीयों की कोई भागीदारी नहीं थी। यदा–कदा भारतीयों को प्रसन्न करने के लिए भारतीय जनता की कुछ मांगे स्वीकार कर ली जाती। अतः भारतीय जनता लम्बे समय से संविधान निर्माण में अपनी भागीदारी की मांग कर रही थी।

संविधान सभा का गठन

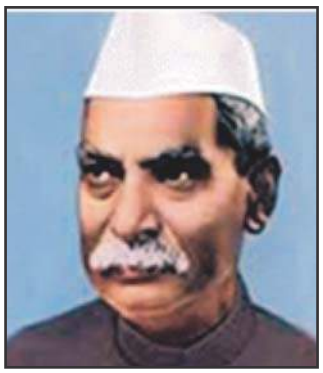

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् भारत में अंग्रेजों का विरोध काफी बढ़ गया था। बंबई–नौसेना विद्रोह एवं आजाद हिन्द फौज के संघर्ष आदि से अंग्रेजी शासकों को लगने लगा कि अब उन्हें भारत को स्वतन्त्र करना पड़ेगा। तब उन्होंने एक मंत्रिमण्डलीय समिति भेजी, जिसमें भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण की मांग स्वीकार की गई एवं इस आधार पर 1946 ई. में भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। इस संविधान सभा में ब्रिटिश गर्वनर द्वारा शासित प्रांतों एवं देशी रियासतों के प्रतिनिधि सम्मिलित किए गए। इसका ढाँचा लोकतंत्रात्मक था। प्रान्तों से प्रतिनिधि सीमित मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए गए तथा रियासतों के प्रतिनिधि शासकों द्वारा मनोनीत किए गए। दस लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निर्वाचित किया गया। इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य रखे गए, जिनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश शासित प्रांतों से, चार सदस्य चीफ कमिश्नर शासित प्रांतों से व शेष 93 सदस्य देशी रियासतों से चुने जाने थे।

कुछ शासकों ने प्रारम्भ में इस संविधान सभा में अपने राज्यों से प्रतिनिधि भेजने में आना–कानी की,

किन्तु बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने सर्व प्रथम अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजे एवं अन्य शासकों को भी इसके लिए प्रेरित किया। इस संविधान सभा का अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को बनाया गया। अंग्रेजों ने जाने से पूर्व भारत को दो हिस्सों क्रमशः भारत एवं पाकिस्तान में बाँट दिया। परिणाम स्वरूप संविधान सभा दो भागों में बँट गई। पाकिस्तान की संविधान सभा के अलग होने एवं हैदराबाद के प्रतिनिधियों के शामिल नहीं होने से भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य ही रह गए।

इसके अतिरिक्त संविधान सभा के सदस्य उच्च शिक्षित एवं विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि थे। लगभग तीन वर्षों तक काफी चर्चा की तथा विभिन्न विकल्पों पर विचार किया और इस प्रकार एक संविधान का निर्माण किया, जिसमें भारतीय समाज के सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया। शासन प्रणाली में लोकतंत्रात्मक संसदीय प्रणाली को अपनाया गया ताकि शासन में आम लोगों की भागीदारी हो सकें व योग्य व्यक्ति राष्ट्र को नेतृत्व दे सकें। इस प्रकार इस संविधान सभा ने भारतीयों के लिए एक नवीन संविधान का निर्माण किया तथा आज भी भारत विश्व का एक प्रमुख लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इस संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद थे, जो बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने।

गतिविधि–

ऐसा भी करें–संविधान सभा में शामिल कुछ प्रमुख सदस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए एवं उनके चित्रों को एकत्र कीजिए।

संविधान सभा के बारे में कुछ तथ्य :

- पहली बार संविधान सभा 9 दिसम्बर 1946 ई. को बैठी, जिस सभागार में पहली बैठक हुई, उसे वर्तमान में लोकसभा का सेन्ट्रल हॉल कहते हैं।
- संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे।
- 3 जून 1947 ई.की योजना के अनुसार पाकिस्तान जाने वाले सदस्यों ने स्वयं को हिन्दुस्तान की संविधान सभा से अलग कर लिया। इसके बाद संविधान सभा में कुल 299 लोग रह गए।
- संविधान सभा ने अपना काम 17 समितियों में बाँट लिया था। संविधान की प्रारुप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर थे।
- 26 नवम्बर, 1949 ई. को संविधान को अधिनियमित, आत्मार्पित एवं अंगीकृत किया गया।
- 26 जनवरी, 1950 ई. को संविधान को लागू किया गया।

संविधान सभा में राजस्थान से आने वाले सदस्य :

- पंडित मुकुट बिहारीलाल
- श्री माणिक्यलाल वर्मा
- श्री जयनारायण व्यास
- श्री बलवंत सिंह मेहता
- श्री रामचन्द्र उपाध्याय
- लेफ्टिनेंट कर्नल दलेल सिंह
- श्री गोकुल लाल असावा
- कँवर जसवंतसिंह
- श्री राज बहादुर
- सर वी. टी. कृष्णामाचारी
- श्री हीरालाल शास्त्री
- श्री सी. एस. वेंकटाचारी
- सरदार के. एम. पन्निकर
- सर टी विजयराघवाचार्या

देशी रियासतों का भारत में विलय

अंग्रेजों द्वारा शासित भारतीय साम्राज्य में दो प्रकार के राज्य थे। प्रथम वे प्रान्त जो ब्रिटिश गवर्नर द्वारा शासित थे। द्वितीय वे देशी रियासतें थी, जिन पर राजाओं का शासन था तथा वे अंग्रेजी आधिपत्य में शासन करते थे। ये रियासतें भारत के समस्त भागों में स्थित थी। इनमें से कुछ का क्षेत्रफल काफी अधिक था तो कुछ बहुत छोटी थी। ये रियासतें संधियों तथा समझोतों द्वारा भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थी।

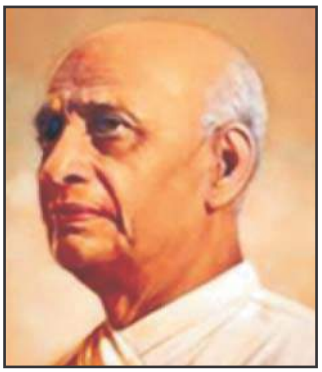

सरदार वल्लभ भाई पटेल

अंग्रेजों ने भारत को मुक्त करते समय विभाजित कर दिया और समस्त प्रांतों को भारत व पाकिस्तान नामक दो अधिराज्यों में बाँट दिया । अंग्रेजों ने देशी रियासतों के साथ पूर्व में की गई संन्धियाँ रद्द कर दी तथा उन पर से अपनी सर्वोच्चता त्याग दी तथा उन्हें यह अधिकार दिया कि वे भारत अथवा पाकिस्तान में से किसी भी देश में शामिल हों अथवा चाहें तो स्वतंत्र रहे। इससे स्थिति संकटपूर्ण हो गई, क्योंकि कुछ रियासतों के शासक स्वतंत्र रहना चाह रहे थे तो कुछ पाकिस्तान के नेताओं के बहकावे में आकर पाकिस्तान में मिलने की सोच रहे थे। जबकि ये रियासतें भारतीय भू भाग के मध्य में स्थित थी तथा यहाँ की प्रजा भी भारत में मिलना चाहती थी। इन शासकों के ऐसे कदमों से भारत की एकता को खतरा उपस्थित हो सकता था, इसलिए इस समस्या के निराकरण के लिए भारत की अन्तरिम सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता मे रियासती विभाग की स्थापना की। सरदार पटेल ने देशी रियासतों के शासकों को भारत में विलय के लिए प्रेरित किया और उन्हें भौगोलिक,आर्थिक तथा जनता की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने का सुझाव दिया। इस समय में बडौदा व बीकानेर के शासकों ने भारतीय संघ में सम्मिलित होने की सर्वप्रथम सहमति प्रदान की। भोपाल के नवाब ने जिन्ना के प्रोत्साहन पर राजस्थान के कुछ राजाओं को अपनी ओर मिलाकर पाकिस्तान में मिलने की योजना बनाई। किन्तु उनके राज्य एवं पाकिस्तान के मध्य मेवाड़ की रियासत स्थित थी।

भारत आजादी से पहले

अतः उन्होंने अपने प्रतिनिधि को मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह से सम्पर्क करने को कहा। किन्तु मेवाड़ महाराणा ने कहा कि मेवाड़ भारत में रहेगा या बाहर इसका निर्णय मेरे पुरखे कर गए हैं। यदि देशद्रोह करना होता तो मेरे पास हैदराबाद से भी बड़ी रियासत होती।इस प्रकार मेवाड़ के महाराणा ने देशभक्ति का परिचय

देते हुए भारत में विलय होने का निश्चय किया एवं देशी रियासतों को पाकिस्तान में मिलाने की जिन्ना की योजना को असफल कर दिया ।

गतिविधि–

ऐसा भी करें–भारत के प्राचीन मानचित्र में विभिन्न रियासतों जैसे हैदराबाद, भोपाल, मेवाड़ आदि को पहचानिए।

15 अगस्त 1947 ई. से पूर्व मात्र जूनागढ़, हैदराबाद व कश्मीर को छोड़कर लगभग सभी रियासतों ने भारतीय संघ में सम्मिलित होने पर सहमति दे दी। बाद में जूनागढ की प्रजा ने अपने नवाब के विरुद्व विद्रोह कर अपना विलय भारत में कर दिया।

हैदराबाद का निज़ाम जनभावनाओं की अनदेखी कर भारत से अलग रहना चाहता था, किन्तु सरदार पटेल ने सेनिक कार्यवाही कर उसे भारत में मिला लिया। पाकिस्तान ने कश्मीर को हड़पने के लिए उस पर आक्रमण किया किन्तु वहाँ के महाराजा हरिसिंह व राजनीतिक दलों ने भारत में विलय पर सहमति दे दी।

अतः उसका भी भारत में विलय हो गया। इस प्रकार सरदार पटेल के अथक प्रयासों से देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय हुआ तथा शेष भारत खण्डित होने से बच गया। सरदार पटेल ने जिस प्रकार का दृढ निश्चय इस सम्पूर्ण घटनाक्रम के दौरान दिखाया उसके कारण उन्हें 'लौह पुरूष' कहा गया।

विस्थापितों को फिर से बसाना

आजादी के समय भारत–पाक विभाजन के परिणामस्वरूप लगभग 70–80 लाख लोग पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आए थे। ये विस्थापित अपना घर–बार संपत्ति सब कुछ पाकिस्तान में छोड़कर कई त्रासदियाँ झेलते हुए भारत पहुँचे थे। इनमें से कईयों ने तो अपने परिजनों को भी खो दिया था। अतः इन्हें मानसिक व आर्थिक संबल की आवश्यकता थी। इनका पुनर्वास ज़रूरी था, ताकि ये फिर से अपना घर–बार बसा सकें। काम धंधे मे लग जाएँ, बच्चों की पढ़ाई करा सकें और देश को आगे बढ़ाने में भी योगदान दे सकें।

स्वतन्त्र भारत की पहली सबसे बड़ी चुनौती इन लोगों को फिर से बसाने में थी। पश्चिम भारत में ज्यादातर सिंधी आये थे। उत्तर भारत में सिख और पूर्वी भारत में बंगाली। पहले छः महीने तो विस्थापितों को स्कूल–कालेजों में रखा गया, फिर अजमेर, कच्छ,गांधीधाम व आदिपुर, कल्याण, दिल्ली, करनाल, दण्डकारण्य आदि स्थानों पर विस्थापितों के लिए कैम्प स्थापित किये गए। चूंकि कई लोग दिन में काम पर जाते थे तो उनके लिए स्कूल–कॉलेज शाम को भी चलाने की व्यवस्था की गई। नए तकनीकी शिक्षा संस्थान बनाए गए, ताकि विस्थापित लोग ऐसे हुनर सीख सकें जिनकी उनके नए निवास–स्थान पर ज़रूरत थी।

आने वाले सालों में विस्थापितों ने देश और समाज को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया। लोगों ने नए माहौल में रहने के लिए नए हुनर सीखे। कुछ ही समय में उन्होंने नए शहर आबाद कर लिए। उल्हासनगर (महाराष्ट्र), गांधीधाम (गुजरात), आदिपुर(गुजरात) जैसे शहरों में सिंधी विस्थापितों ने अपने व्यापार और उद्योग चलाने शुरू कर दिए।

पीलीभीत (उत्तरप्रदेश), शिवपुरी (मध्यप्रदेश), श्रीगंगानगर (राजस्थान) जैसे इलाकों में पंजाबी विस्थापितों ने खाली पड़ी हुई जमीन को खेती योग्य बनाया। थोड़े ही समय में ये इलाके फसलों से लहलहा उठे।

बँटवारे की त्रासदी

हमें शरणर्थियों का एक लम्बा कारवाँ मिला जो शेखुपुरा से हो कर भारत आ रहा था। हमने इन लोगों से बातें की और इनमें से कई उत्तर अत्यन्त मर्मस्पर्शी थे। एक वृद्ध किसान ने कहा – "इस देश में कई शासक बदले। वे आये और चले गये। लेकिन यह पहला अवसर है जब शासक के साथ रिआया (जनता) को भी बदलने पर विवश किया जा रहा है"। एक वृद्ध स्त्री ने कहा– "बँटवारे हर परिवार में होते हैं, लेकिन सब कुछ शान्ति से होता है। यहाँ लूट–मार व रक्तपात क्यों ?".....दुर्घटना के परिणामों का पूरा ज्ञान मुझे उस समय हुआ जब मैं दिल्ली से कुछ दूर कुरूक्षेत्र के एक कैम्प में गया जहाँ दो लाख सत्तर हजार शरणार्थी तम्बुओं और झोंपड़ियों में बसाये गये थे और मैंने विस्थापितों का 15 मील लम्बा कारवाँ मॉन्टगोमरी जिले से भारत की तरफ आते हुए देखा।

(पत्रकार श्री दुर्गादास की पुस्तक 'भारत कर्जन से नेहरू और उनके पश्चात्' से उद्धरित)

दिल्ली, करनाल (हरियाणा), पानीपत (हरियाणा), कानपुर (उत्तरप्रदेश) जैसे शहरों में छोटे–बड़े उद्योगों की स्थापना भी विस्थापितों ने ही की। घरों की कमी को दूर करने के लिए कई शहरों के साथ नए 'मॉडल टाउन' बनाए गए।

विस्थापितों की त्रासदी

विस्थापितों में से अनेक महान् राजनीतिक नेता बने, अनेक ने व्यापार और उद्योगों में नाम कमाया। अनुसंधान, पत्रकारिता, फ़िल्में, गायन आदि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था, जहाँ 1947 में आए विस्थापितों ने यह न साबित कर दिया कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों न हो, स्वतन्त्र भारत में लोग काफी कुछ करने की क्षमता रखते हैं और उन्होंने ऐसा किया भी।

गतिविधि–

कुछ ऐसे लोगों के बारे में पता करने की कोशिश कीजिए जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए और उनसे यह जानने की कोशिश कीजिए कि यहाँ आने में उन्हें किस तरह के अनुभव हुए ? किस तरह उन्होंने अपनी ज़िन्दगी की नई शुरुआत की ?

पड़ोसी राष्ट्रों से संबंध

भारत व पाकिस्तान जब अलग हुए तो इनमें सीमा निर्धारण करने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ। जिसने इन दोनो राष्ट्रों के मध्य सीमा का निर्धारण

किया। इस सीमारेखा को आज 'रेडक्लिफ' रेखा के नाम से जाना जाता है। देशी रियासतों को भारत व पाकिस्तान में से किसी भी राष्ट्र में मिलने की स्वतंत्रता थी। सरदार वल्लभभाई पटेल के कुशल निर्देशन में व रियासती सचिवालय के प्रयासों से अधिकांश रियासतों के शासकों ने भारत में विलय पर अपनी सहमति दे दी।कश्मीर के शासक महाराजा हरिसिंह ने भी भारत में विलय पर सहमति प्रदान कर दी किन्तु पाकिस्तान ने उस पर जबरन अधिकार करना चाहा एवं कबायलियों की आड़ में उस पर आक्रमण किया। भारतीय सेना ने हालांकि पाक सेना व कबायलियों को कश्मीर से खदेड़ दिया किन्तु आज कश्मीर के बड़े क्षेत्र पर पाक ने अनधिकृत कब्जा किया हुआ हैं। 1948 ई. के बाद भी 1965 ई. ,1971 ई. व 1999 ई. में पाक के साथ हुए युद्ध में यद्यपि पाकिस्तान पराजित हुआ है किन्तु आज भी इस क्षेत्र में तनाव बना रहता है।

क्या आप जानते हैं कि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के लगभग 90,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और पूर्वी पाकिस्तान के स्थान पर एक नए देश 'बांग्लादेश' का निर्माण हुआ।

उत्तर दिशा में चीन से हमारा कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर विवाद चल रहा है। चीन ने भी भारत के बड़े भाग पर अनधिकृत कब्जा किया हुआ है।

पाकिस्तान सेना प्रमुख नियाजी का भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण 1971 में

अन्य पड़ोसी राष्ट्रों जैसे– नेपाल, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, मालदीव से हमारे संबंध सौहार्दपूर्ण रहे हैं। भारत इन राष्ट्रों के साथ बड़े भाई की भूमिका निभाता है। नेपाल व भूटान के साथ हमारी सीमाएँ खुली हुई है तथा इन राष्ट्रों के निवासियों को भारत में कई स्थानों पर कार्य करते हुए देखा जा सकता है। विगत कुछ वर्षों से दक्षिण–पूर्व एशिया के राज्यों में जिनमें कभी भारतीय सभ्यता व संस्कृति का प्रचार–प्रसार था, उससे भी भारत ने अपने संबंध मधुर बनाए हैं।

आर्थिक विकास

औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश हितों के अनुकूल ढाला। भारत के प्राचीन कुटीर उद्योगों को नष्ट कर दिया एवं भारत को कृषिगत कच्चे माल का उत्पादक राष्ट्र बना दिया ताकि इंग्लैण्ड के उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त हो सके। आजादी के बाद कुछ उपजाऊ क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए। भारत के आर्थिक पुनर्निर्माण हेतु एवं भारत को सक्षम बनाने तथा इसे गरीबी से मुक्त कराने हेतु एक सुव्यवस्थित योजना की आवश्यकता थी। अतः 1950 ई. में भारत में 'योजना आयोग' नामक संस्था का गठन किया गया और उसी के तहत पाँच–पाँच वर्ष के कार्यों के लक्ष्य निर्धारित कर योजनाएँ बनाई गई, जिन्हें पंचवर्षीय योजनाएँ कहा गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया । भारी उद्योगों व विशाल बांधों के निर्माण पर कार्य किया गया। बाद की पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि व सामुदायिक विकास जैसे लक्ष्यों को महत्त्व दिया गया। अभी वर्तमान में 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से प्रारम्भ हुई है।

राज्य सरकारों द्वारा योजना आयोग में उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिये जाने की प्रायः शिकायत की जाती थी। अतः सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व देने एवं उन्हें आर्थिक विकास की गति में भागीदार बनाने की दृष्टि से 2015 में योजना आयोग के स्थान पर एक नवीन संस्था 'नीति आयोग' का गठन किया गया है। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री व केन्द्रशासित प्रदेशों के उप–राज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अरविन्द पनगड़िया इसके प्रथम उपाध्यक्ष बनाए गए हैं।

नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष अरविन्द पनगड़िया का संबंध राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से है।

राज्यों का पुनर्गठन

स्वतन्त्र भारत में यह मांग उठी कि राज्यों की सीमाएँ भी फिर से तय की जाएँ, ताकि लोगों को राज्य प्रशासन के साथ व्यवहार करने में आसानी हो। स्वतंत्रता के पहले कई राज्यों का आकार बहुत बड़ा था। जैसे– एक राज्य था बंबई। इस राज्य में वर्तमान का महाराष्ट्र और गुजरात आते थे। मद्रास राज्य में वर्तमान तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्से आते थे। 'सेंट्रल प्रोविन्सेज़ एंड बरार' नाम के राज्य में मध्यवर्ती हिन्दुस्तान के अनेक इलाके शामिल थे। इनमें कई राज्य तो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया के अनेक देशों से भी ज्यादा बड़े थे। इसके अलावा 500 से ऊपर रियासतें थी, जिनको किसी न किसी प्रशासनिक इकाई में शामिल करना था। राज्यों की सीमाएँ तय करने के लिए एक 'राज्य पुनर्गठन आयोग' का गठन किया गया। इसने कई विकल्पों को ध्यान में रखते हुए यह सलाह दी कि राज्यों को भाषा के आधार पर बनाना चाहिए। अतः मद्रास को मैसूर, आन्ध्र प्रदेश और मद्रास राज्यों में विभाजित किया गया। बाद में मद्रास को नया नाम दिया गया– 'तमिलनाडु'। मैसूर का नाम बदल कर रखा गया–कर्नाटक। बंबई राज्य को गुजरात और महाराष्ट्र में बाँटा गया। मध्यवर्ती भारत में मध्य प्रदेश बनाया गया। राजस्थान, जिसके बनने की प्रक्रिया कई साल पहले ही प्रारम्भ हो चुकी थी, उसको भी एक स्थाई रूप दिया गया।

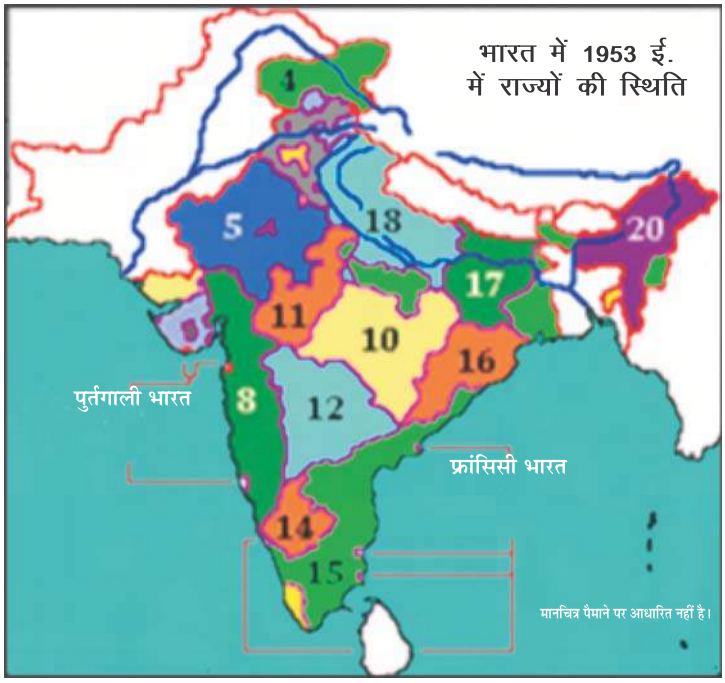

जैसा पहले कहा गया कि हिन्दुस्तान में राज्यों की सीमाएँ लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनायी गयी थी। अतः जब–जब ज़रूरत पड़ी, एवं लोगों ने यह दर्शाया कि उन्हें एक अलग राज्य की आवश्यकता है, तब–तब राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इस तरह 1966 ई. में पंजाब और हरियाणा राज्य बने। नवम्बर 2000 ई. में उत्तरप्रदेश से अलग कर के उत्तराँचल बना। उत्तराँचल को ही बाद में उत्तराखंड

का नाम दिया गया। साथ ही साथ मध्य प्रदेश को विभाजित कर के छत्तीसगढ़ बना और बिहार से झारखंड को अलग किया गया। हाल ही में आंध्र प्रदेश को विभाजित कर तेलंगाना बनाया गया। आज भी रह–रह कर नए राज्य बनाने की मांग होती रहती है। इस तरह की मांग बुंदेलखंड प्रदेश, विदर्भ प्रदेश के लिए भी उठी है, परन्तु अभी इन राज्यों का गठन नहीं हुआ है।

गतिविधि–

सन् 1953 ई. के भारत के मानचित्र की तुलना वर्तमान भारत के मानचित्र से कीजिए और राज्यों की स्थिति में आए बदलावों को लिखिए ।

राजस्थान का एकीकरण

आज जिस प्रदेश को राजस्थान के नाम से जाना जाता है वह स्वतन्त्रता के पहले राजपूताना के नाम से जाना जाता था। राजपूताना यानी राजपूतों की भूमि। राजपूताना में अनेक रियासतें थी। जिन पर यहाँ के शासक, अंग्रेज सरकार की देखरेख में शासन चलाते थे। अजमेर–मेरवाड़ा का इलाका सीधे अंग्रेजों के अधीन था। स्वतंत्रता के बाद इन सब इलाकों को इकट्ठा करके वर्तमान राजस्थान राज्य बना।

हालांकि देशी रियासतों ने भारत में विलय पर सहमति दे दी। परन्तु उनमें कई रियासतें जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से इतनी छोटी थी कि उनका अलग राज्य के रूप में रहना प्रशासनिक दृष्टि से सम्भव नहीं था। इससे उनका विकास भी नहीं हो पाता। इसलिए रियासती विभाग ने तय किया कि जिन रियासतों की जनसंख्या 10 लाख से कम है या आय एक करोड रूपए से कम है उन्हें पास की बड़ी रियासतों में मिला दिया जाए। इसलिए प्रारम्भ में राजस्थान के राजाओं ने स्वयं प्रयास करके अपने संघ बनाने के प्रयास किये। जैसे मेवाड़ महाराणा ने राजस्थान के राजाओं को एकत्रित कर 'राजस्थान यूनियन' बनाने का प्रस्ताव रखा। डूँगरपुर महारावल ने वागड़ के राज्यों को मिलाकर 'वागड़ संघ' बनाने का प्रस्ताव दिया। कोटा महाराव ने 'हाडौती संघ' बनाने का प्रयास किया, किन्तु शासकों द्वारा किए गए ये प्रयास सफल नहीं हुए ।

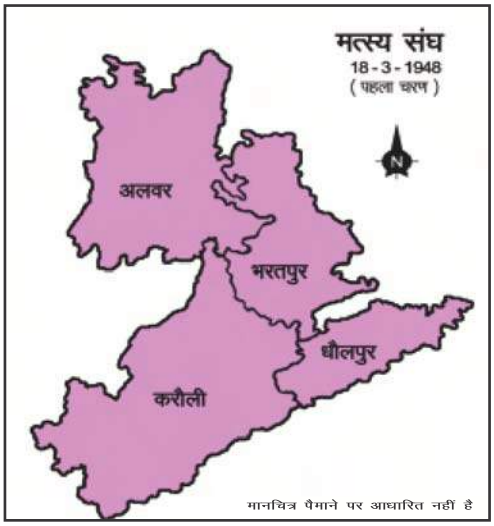

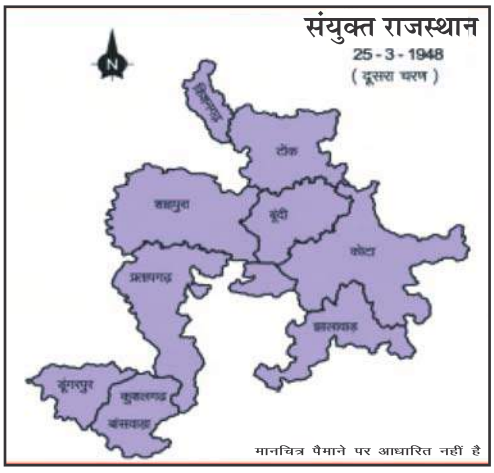

बहरहाल, सबसे पहले मेवात के इलाके से अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली ने मार्च 1948 में इकट्ठा रहने का फैसला किया। इस संगठन को के.एम.मुंशी की सलाह पर इसके प्राचीन नाम के आधार पर 'मत्स्य संघ' नाम दिया गया। अलवर को मत्स्य संघ की राजधानी बनाया गया।

कुछ ही दिन बाद दक्षिण–पूर्वी और दक्षिण की नौ रियासतों ने मिल कर 'संयुक्त राजस्थान' नाम के संघ का गठन किया। इसमें बाँसवाड़ा, कोटा, बूँदी, टोंक, झालावाड़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़ और डूँगरपुर नामक रियासतें व दो चीफशीप कुशलगढ़ व लावा शामिल थे। कोटा को 'संयुक्त राजस्थान' की राजधानी बनाया गया।

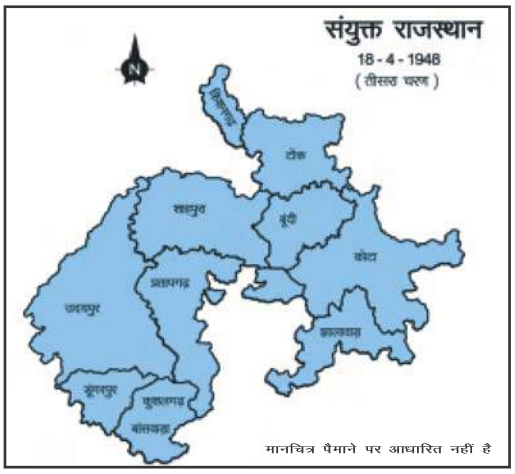

तीन हफ्ते बाद मेवाड़ यानि उदयपुर रियासत भी इस संघ में शामिल हो गया 'संयुक्त राजस्थान' नाम के इस संघ की राजधानी उदयपुर को बनाया गया। राजप्रमुख मेवाड़ के महाराणा भूपालसिंह बने तथा माणिक्यलाल वर्मा को 'प्रधानमंत्री' बनाया ।

अगले साल, यानी 30 मार्च, 1949 ई.में बची हुई चार रियासतें भी इस संघ में शामिल हो गयी। अतः अब संयुक्त राजस्थान संघ में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर भी शामिल हो चुके थे। संघ का नाम बदलकर ''वृहत राजस्थान'' रख दिया गया। वृहत राजस्थान की राजधानी बना जयपुर और इसके महाराजप्रमुख बने मेवाड़ के महाराणा भूपालसिंह, राजप्रमुख बने जयपुर के मानसिंह तथा पंडित हीरालाल शास्त्री को 'प्रधानमंत्री' बनाया गया। भारतीय संविधान के लागू होने के बाद सारे देश में राज्यों के 'प्रधानमंत्री' को 'मुख्यमंत्री' कहा जाने लगा।

15 मई 1949 ई. को मत्स्य संघ भी वृहत राजस्थान में शामिल हो गया।

अब तक केवल सिरोही ही एक ऐसी रियासत थी, जिसका राजस्थान में विलय नहीं हुआ था। अतः 26 जनवरी 1950 ई. को, जब भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, इस समय देलवाड़ा एवं आबू क्षेत्र के अलावा बाकी सिरोही रियासत भी राजस्थान का हिस्सा बन गयी।

भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन कमीशन के कहने पर 1956 ई. में अजमेर–मेरवाड़ा के इलाके को भी राजस्थान मे मिला दिया गया। साथ ही साथ मध्यप्रदेश के सुनेल टप्पा और सिरोही की देलवाड़ा एवं आबू

तहसील को भी राजस्थान का हिस्सा बना दिया गया तथा राजस्थान का सिरोज मध्यप्रदेश में मिला दिया गया।

इस तरह वर्तमान राजस्थान का 01 नवंबर, 1956 ई. को एकीकरण हुआ। किन्तु राजस्थान दिवस वृहत राजस्थान के आधार पर 30 मार्च को ही मनाया जाता है। वर्तमान राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है और इसकी आबादी 2011 की जनगणना के आधार पर 6 करोड़ से भी ज्यादा है।

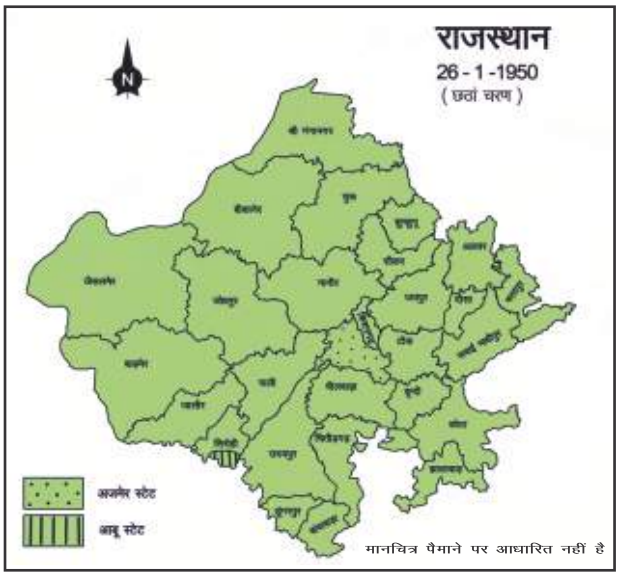

राजस्थान के एकीकरण के चरण एक नजर में

एकीकरण के चरण	राज्य का नाम	गठन की तारीख	विलीन रियासतें	प्र.म./मु. मं.	राजप्रमुख	उद्घाटनकर्ता
प्रथम	मत्स्य संघ	17.03.1948	अलवर,भरतपुर, धौलपुर,करौली	शोभाराम कुमावत	उदयभान सिंह धौलपुर	एन.वी. गाड़गिल
द्वितीय	संयुक्त राजस्थान	25.03.1948	बाँसवाड़ा,कोटा,बूँदी,टोंक, झालावाड़, प्रतापगढ़,शाहपुरा,किशन गढ,डूँगरपुर	गोकुल लाल असावा	भीमसिंह कोटा	एन.वी. गाड़गिल
तृतीय	संयुक्त राजस्थान	18.04.1948	संयुक्त राजस्थान, उदयपुर	माणिक्य लाल वर्मा	भूपालसिंह मेवाड़	जवाहर लाल नेहरु
चतुर्थ	वृहत राजस्थान	30.03.1949	संयुक्त राजस्थान,जयपुर, जोधपुर जैसलमेर, बीकानेर	हीरालाल शास्त्री	मानसिंह जयपुर	सरदार वल्लभ भाई पटेल
पंचम्	वृहत राजस्थान	15.05.1949	वृहत राजस्थान , मत्स्य संघ	–	–	–
षष्ठम्	वृहत राजस्थान	26.01.1950	वृहत राजस्थान (पांचवा चरण), देलवाड़ा एवं आबू क्षेत्र के अलावा सिरोही	–	–	–
सप्तम्	राजस्थान	01.11.1956	राजस्थान, देलवाड़ा आबू क्षेत्र, अजमेर–मेरवाड़ा		–	–

क्या आप को मालूम है कि :–

1. राजपूताना में जोधपुर रियासत सबसे बड़ी थी।
2. राजपूताना में कुल 19 रियासतें, 3 चीफशीप व एक केन्द्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा शामिल थे।
3. संविधान लागू होने से पूर्व राज्यों के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था।

गतिविधि–

राजस्थान के एकीकरण में योगदान देने वाले कुछ प्रमुख व्यक्तियों नाम यहाँ दिये जा रहे है:–

1. सरदार वल्लभ भाई पटेल 2. श्री वी. पी. मेनन 3. श्री जयनारायण व्यास
4. पंडित हीरालाल शास्त्री 5. श्री माणिक्यलाल वर्मा 6. श्री गोकुल भाई भट्ट

खोज कर के बताएँ कि:–

1. ऊपर जिन लोगों के नाम दिए गए हैं, उनका राजस्थान के इतिहास में और क्या योगदान रहा है?
2. ऊपर दिए गए नामों के अलावा और किन लोगों ने राजस्थान के एकीकरण में योगदान दिया है? नाम ढूँढ़कर लाएं और बताएं।

शब्दावली

विस्थापित	–	जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो अथवा विवश होकर हटना पड़ा हो।
स्वशासन	–	स्वयं का शासन
पुनर्वास	–	पुनः बसाना

अभ्यास प्रश्न

प्रश्न एक व दो के सही उत्तर कोष्ठक में लिखें–

1. निम्नलिखित में से भारत का पड़ोसी देश नहीं है।
   (अ) पाकिस्तान (ब) इंग्लैण्ड (स) चीन (द) नेपाल ( )
2. निम्नलिखित में से भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे ।
   (अ) डॉ. राधाकृष्ण (ब) भीम राव अम्बेडकर
   (स) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (द) वल्लभ भाई पटेल ( )

3. राज्यों की सीमाएँ तय करने के लिये कौनसा आयोग बनाया गया ?
4. वर्तमान में भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है ?
5. संयुक्त राजस्थान में कौन–कौन सी रियासतें शामिल थी ?
6. सिन्धी विस्थापितों ने समाज के लिये क्या योगदान किया है ?
7. भारत के अपने पड़ोसी राष्ट्रों से संबंधों पर टिप्पणी लिखिए ?
8. भारत के एकीकरण में सरदार पटेल का योगदान बताइए ?
9. स्वतंत्रता के बाद भारत के सम्मुख प्रमुख चुनौतियाँ क्या थी ?
10. स्वतंत्रता के बाद राज्यों के पुनर्गठन की घटनाओं का वर्णन कीजिए ?
11. राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए ?
12. देशी रियासतों के भारत विलय में क्या कठिनाइयाँ थी बताइए ?

गतिविधि–

1. अपने आस पास अगर कोई विस्थापित परिवार है, तो उनके विभाजन के बाद के अनुभवों को पूछ कर लिखिए।
2. राजस्थान राज्य के वर्तमान मंत्रिमण्डल के सदस्यों की सूची बनाइए।
3. राजनीति, कला, साहित्य या अन्य किसी भी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त उन व्यक्तियों के नाम की सूची बनाइए जिनका संबंध पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए परिवारों से हो।
4 वर्तमान राजस्थान राज्य का मानचित्र लेकर उसमें वर्तमान जिलों के स्थानों को चिन्हित कीजिए।